न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 108/2019

अनवान :

1. राकेश पुत्र रणधीर सिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
2. सुनील पुत्र रणधीर सिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. रणधीरसिंह पुत्र छबीलाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
2. राजबाला पुत्री रणधीरसिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्त0अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : वादीगण
वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी:प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 06·08·2019**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 7/12 के मु.न. 71 के किला नं. 10 ता 13, 19 ता 22, मु.न. 72 के किला नं. 6,7,14,15 कुल 3.036 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 67/58 के मु.न. 72 के किला नं. 12, मु.न. 113 के किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 20 व 23, 24 मु.न. 121 के किला नं. 3 ता 8, 14, 15 कुल 5.325 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 176/166 के खसरा संख्या 345/2 की 8.132 हैक्टर बारानी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रतिया जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 हिन्दु है तथा, हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा छबीलाराम की खातेदारी हुआ करती थी। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसके चलते उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण के दादा के देहान्त होने पर वादभूमि का विरसतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रणधीरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपना नाम से विरासतन दर्ज करवा ली।

वादभूमि की बाबंत वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं. 2 राजबाला ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 रणीधीरंसिह के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था तथा वादीगण को उक्त पारिवारिक सैटलमेन्ट में रोही अमरपुरा बारानी के दोनों खातों की भूमि जो रणधीरसिंह के नाम से दर्ज है वह 'वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार मिल गई थी तथा रोही

6·8·19

 सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अजीतपुरा की खातेदारी प्रतिवादी रणधीरसिंह के हिस्सा में आ गई थी। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु रिकार्ड माल में कुल वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी रणधीसिंह के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 अपना ने तथा प्रतिवादी सं. 3 रांज पैराकार ने अपना जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी सुनील पुत्र रणधीरसिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सुरतपुरा प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत 2074–77 अजीतपुरा प्रदर्श 2, जमाबंदी अमरुपरा बारानी सम्वत 2072–75 प्रदर्श 3, जमाबंदी अमरपुरा बारानी सम्वत 2029–38 प्रदर्श 4,5, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान् अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 7/12 के मु.न. 71 के किला नं. 10 ता 13, 19 ता 22, मु.न. 72 के किला नं. 6,7,14,15 कुल 3.036 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 67/58 के मु.न. 72 के किला नं. 12, मु.न. 113 के किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 20 व 23, 24 मु.न. 121 के किला नं. 3 ता 8, 14, 15 कुल 5.325 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2074–77 अजीतपुरा प्रदर्श 2, जमाबंदी अम्रुपरा बारानी सम्वत 2072–75 प्रदर्श 3, जमाबंदी अमरपुरा बारानी सम्वत 2029–38 प्रदर्श 4,5, प्रदर्शित करवाये है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने भी वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादीगण साबित होना पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 7/12 के मु.न. 71 के किला नं. 10 ता 13, 19 ता 22, मु.न. 72 के किला नं. 6,7,14,15 कुल 3.036 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 67/58 के मु.न. 72 के किला नं. 12, मु.न. 113 के किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 20 व 23, 24 मु.न. 121 के किला नं. 3 ता 8, 14, 15 कुल 5.325 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से

6.8.19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज मे से प्रतिवादी सं0 1 रणधीरसिंह का नाम कलमजन कर उक्त प्रतिवादी सं. 1 रणधीरसिंह के नाम अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 7/12 व 67/58 में दर्ज हिस्सा भूमि के वादीगण को संयुक्त रूप से 1/2–1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)

सहायक कलक्टर

(फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 108/2019

अनवान :

1. राकेश पुत्र रणधीर सिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
2. सुनील पुत्र रणधीर सिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. रणधीरसिंह पुत्र छबीलाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
2. राजबाला पुत्री रणधीरसिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्त0अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 7/12 के मु.न. 71 के किला नं. 10 ता 13, 19 ता 22, मु.न. 72 के किला नं. 6,7,14,15 कुल 3.036 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 67/58 के मु.न. 72 के किला नं. 12, मु.न. 113 के किला नं. 1 ता 3, 7 ता 14, 17 ता 20 व 23, 24 मु. न. 121 के किला नं. 3 ता 8, 14, 15 कुल 5.325 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रणधीरसिंह के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज मे से प्रतिवादी सं0 1 रणधीरसिंह का नाम कलमजन कर उक्त प्रतिवादी सं. 1 रणधीरसिंह के नाम अमरपुरा बारानी के खाता संख्या 7/12 व 67/58 में दर्ज हिस्सा भूमि के वादीगण को संयुक्त रूप से 1/2–1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

6.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़